

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रवृत्ति संख्या:-195/16

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 08.12.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00835

उनवान

जीवाराम पुत्र हरिमोहन जाति छीपी निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन  
जिला करौली राज0

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राज0।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 04.08.2022 से साक्ष्यवादी में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 195/16 जीवनराम बनाम सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)